

# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU      **PS:** SVB ROHTAK      **Year:** 2013    **FIR No:** 39    **Date:** 25-11-13

2.    **Act(s):**      **Section(s)**  
(i) IPC      409,467,468,471,120B  
(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988      13(1)D PC ACT

(iii)

(iv)

3.    **Occurrence of Offence:**  
(a) **Day:** Monday      **Date From:** 25-11-2013      **Date To:** : 25-11-2013

**Time Period:**      **Time From:**      **Time To:**

(b) **Information received at P.S: Date:** : 25-11-2013      **Time:** 02-00 P.M.

(c) **General Diary Reference:**      **Entry No.:** 09      **Time:** 02-00 P.M

4.    **Type of Information:** SI Om Parkash, SVB Unit, Jhajjar

5.    **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:**      **Beat No.:**

(b) **Address :**

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

**Name of P.S:** SVB ROHTAK      **District:** Rohtak

(a) **Complainant/Informant:** SI Om Parkash, SVB Unit, Jhajjar

(b) **Birth year:**      **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.**      **Date of issue:**      **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:**

7.    **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

1. Sh. Charan Singh, Ex. Sarpanch, Vill- Babepur, Distt-Jhajjar
2. Sh. Yudhbir Singh, Panel JE
3. Sh. Jai Parkash, Secy. Vill- Babepur

8.    **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9.    **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
--------	----------------------------	-----------------	--------

- (i)
- (ii)
- (iii)

**10. Total value of property stolen:**

**11. Inquest Report/U.D Case No., if any**

**12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

सेवा में, प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा रोहतक मण्डल रोहतक, श्रीमान जी निवेदन है कि जांच क्रमांक 06 दिनांक 30.09.11 झज्जर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदे 1 क्रमांक 61/53/2010-2/चौकसी-2 दिनांक 27.09.11 की अनुपालना में निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पृ0 क्रमांक 12761 दिनांक 05.10.13 अनुसार दर्ज होकर प्राप्त हुई। आरोप की जांच से पाया गया कि श्री चरण सिंह पूर्व सरपंच के कार्यकाल मई 2005 से जुलाई 2010 के दौरान गांव बाबेपुर जिला झज्जर में विकास कार्यों के लिए एच0आर0डी0एफ0 स्कीम, पंचायत फण्ड, पी0आर0आई0 स्कीमों के तहत कुल 73,25,409/-रु प्राप्त हुए, जिसमें से प्रतिवादी ने गांव की गलियों सी0सी0 बनवाने, गांव के बस स्टॉप पर धर्म माला बनवाने व मिट्टी भरत, भामान घाट की चार दिवारी में मिट्टी भरत, गांव के बाग में कमरा बनवाने व चार दिवारी बनवाने, गांव की पंचायत भवन में टाइले लगवाने, हरीजन चौपाल की मुरम्मत, बाबा भैया व खाटू भयाम की मूर्ति की चार दिवारी पर ग्रिल लगवाने, गांव में गन्दे पानी की निकासी के लिए सीमेन्ट की पाईपे लगवाने, नालियों पर लोहे के जाल डलवाने पर रिकार्ड अनुसार कुल 73,15,214/-रु की राशि खर्च की जानी पाई गई है। गांव में पंचायती जमीन पर लगे वृक्षों की खुली बोली में 4,80,000/-रु प्राप्त होने पाए गए हैं। कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार धर्म माला खरकली तालाब की चार दिवारी में 15.82 बैग सीमेन्ट कम प्रयोग किए जाने पाये गए। रिकार्ड अनुसार 520 कि0ग्रा0 लोहा गेट हरीजन चौपाल में प्रतिवादी चरण सिंह द्वारा न लगवाकर झूठा बिल बनाकर राशि का गबन किया गया है तथा 1,23,500/-रु 38 सीमेन्ट पाईप खरीद करनी दी गई, परन्तु मौका पर केवल 10 सीमेन्ट पाईप मुख्य मार्ग से गांव में जाने वाली सड़क कास के नीचे दबाई जानी पाई गई, इस प्रकार 28 सीमेन्ट पाईप न तो स्टॉक में पाई गई और ना ही कहीं प्रयोग की जानी पाई गई। गेट लोहा मुबलिक 29890 गांव के बाग में लगाया जाना दर्शाया गया है, लेकिन मौका पर लगा हुआ नहीं है। प्रतिवादी चरण सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाबेपुर को एच0आर0डी0एफ0 पंचायत फण्ड, एस0जी0आर0आई0 व पी0आर0आई0 योजनाओं में प्राप्त राशि से अपने कार्यकाल में गांव में कराये गए सभी विकास कार्यों के लिए खरीद की गई सभी प्रकार की निर्माण सामग्री की रिपोर्ट रिकार्ड अनुसार ग्राम सचिव से तैयार करवाई गई व सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की पैमाय 1 उप मण्डल अभियन्ता, कनिश्ठ अभियन्ता, प्रतिवादी व वर्तमान सरपंच की हाजरी में कराई गई। जांच से गलियों के निर्माण, गांव के बस स्टैण्ड पर बनाई गई धर्म माला गांव के बाग में बनाए गए कमरे, पुराने पंचायत भवन, हरीजन चौपाल के कार्यों के निर्माण/मुरम्मत के कार्यों में रिकार्ड अनुसार 10569 बैग सीमेन्ट खरीद किए गए, असैसमैन्ट अनुसार 4383 बैग सीमेन्ट खर्च करके 6186 बैग सीमेन्ट अधिक खर्च दिखाकर 230 रु प्रति बैग सीमेन्ट अनुसार 14,22,780/-रु का गबन किया गया, के 1र/डस्ट 27498 फुट खरीद दिखाकर असैसमैन्ट अनुसार 17532 फुट खर्च हुआ, इस प्रकार 9966 फुट खर्च अधिक दिखाकर 30.50 रु प्रति फुट अनुसार 3,03,963/-रु का गबन किया गया, 46984 फुट रोडी खरीद दिखाकर असैसमैन्ट अनुसार 11631 फुट रोडी खर्च

हुई, इस प्रकार 29 रु प्रति फुट अनुसार 10,25,237 रु का गबन किया गया, रिकार्ड अनुसार 262385 इन्टे खरीद की गई तथा असैसमैन्ट अनुसार 221160 इन्टे खर्च की गई, इस प्रकार 141225 इन्टे 2356 रु प्रति हजार अनुसार 3,31,818/-रु का गबन किया गया, रिकार्ड अनुसार 10404 फुट रेती की खरीद की गई तथा असैसमैन्ट अनुसार 2557 फुट रेती खर्च हुई, इस प्रकार 7847 फुट रेती 16 रु प्रति फुट अनुसार ज्यादा दिखाकर 1,25,552/-रु का गबन किया गया, 3700 फुट ही खर्च किया गया, इस प्रकार 3600 फुट इन्ट रोडा ज्यादा दिखाया जो 8 /-रु प्रति फुट अनुसार 28800/-रु का गबन किया गया, रिकार्ड अनुसार 7,55,733/-रु की मजदूरी दी गई, असैसमैन्ट अनुसार 3,94,055/-रु की ही मजदूरी लगी है। इस प्रकार 3,61,698/-रु मजदूरी के ज्यादा अदा करने दिखाकर गबन किया गया, वापसी/स्टोन मैटिरियल 37246 फुट रिकार्ड में खरीद दी गया है, जबकि असैसमैन्ट अनुसार 7747 फुट खर्च किया गया, इस प्रकार 29499 फुट वापसी/स्टोन मैटिरियल ज्यादा खर्च दिखाकर 21/-रु प्रति फुट अनुसार 6,19,479/-रु का गबन किया गया, रिकार्ड अनुसार गेट लोहा 4200+26325+29890 कुल 60415/-रु में खरीद करना दिखाया गया, परन्तु कोई गेट न लगवाकर इस राशि का गबन किया गया तथा 38 पाईप सीमेन्ट खरीद करनी रिकार्ड अनुसार दी गई, परन्तु असैसमैन्ट अनुसार केवल 10 पाईप सीमेन्ट प्रयोग की गई, इस प्रकार 28 सीमेन्ट पाईपे अधिक खर्च करनी गलत दी कर 3250 रु प्रति पाईप सीमेन्ट खरीद अनुसार 91000 रु का गबन करके उपरोक्त अनुसार कुल 43,68,930/-रु का गबन करना पाया गया। जांच से उक्त सामान खरीद करने के लिए यादव बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर, गोगढ बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर, राम निवास एंड सन्ज व बाबा सालिगराम बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर के बिल लगाए जाने पाए गए हैं, जिनकी तस्दीक करने पर इन फर्मों में से यादव बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर व बाबा सालेगराम बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर बिल में दी गई राशि पर होनी नहीं पाई गई, गोगढ बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर का मालिक सी0आर0पी0एफ0 में भर्ती होने के बाद उस द्वारा अपनी फर्म बन्द की जानी पाई गई है व राम निवास एंड सन्ज फर्म होनी पाई गई है। श्री युद्धबीर सिंह पैनल कनिश्ठ अभियन्ता से मापक पुस्तिका में इन्द्राज करवाए जाने की ऐवज में 1,00,108/-रु फीस अदा की जानी पाई गई है। प्रतिवादी चरण सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाबेपुर जिला झज्जर द्वारा अपने कार्यकाल में करवाये गए विकास कार्यों का निरीक्षण श्री भगत सिंह, कनिश्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सालावास जिला झज्जर द्वारा किया गया जिसमें उसने काफी अनियमितता पाई गई और जब उसने सरपंच से मापक पुस्तिका लेकर निरीक्षण किया तो मापक पुस्तिका में प्राईवेट व्यक्ति द्वारा गलत इन्द्राज किया जाना पाया गया और कार्य सन्तोशजनक नहीं पाया गया तथा मापक पुस्तिका मौका के कार्य अनुसार उचित भरी नहीं पाई जाने पर उसने उपरोक्त की कमियों व गलत इन्द्राज करने बारे पत्र क्र0 स्पे 1-1 दिनांक 09.09.09 अनुसार श्री राज कुमार भार्मा, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सालाबास व श्री जय प्रकाश ग्राम सचिव को उचित कार्यवाही हेतु लिखित रूप में सूचित कर दिया गया था। परन्तु श्री भगत सिंह कनिश्ठ अभियन्ता की उपरोक्त रिपोर्ट मिलने के बाद भी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व ग्राम सचिव द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर करवाये गए निर्माण कार्यों की अदायगी रोकने बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई गई और ना ही इस बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाना पाया गया। बल्कि प्रतिवादी चरण सिंह पूर्व सरपंच व श्री युद्धबीर सिंह पैनल

कनिश्ठ अभियन्ता पुत्र श्री उमेद सिंह कौम जाट वासी एम0पी0 माजरा जिला झज्जर हाल पैनल कनिश्ठ अभियन्ता झज्जर व जय प्रका 1 ग्राम सचिव से आपस में मिलीभगत करके ग्राम विकास के लिए प्राप्त रा 11, पंचायत फण्ड व पी0आर0आई0 स्कीम के तहत प्राप्त धन रा 11 में से कुल 43,68,930/—रु के जाली बिल लगाकर मापक पुस्तिका में गलत इन्द्राज करके गबन करके अपराध जेरधारा 409/467/468/471 /120बी भा0द0स0 व 13(1)डी पी0सी0 एक्ट का किया जाना पाया जाने पर प्रतिवादी श्री चरण सिंह पूर्व सरपंच ग्राम बाबेपुर जिला झज्जर, श्री युद्धबीर सिंह पैनल कनिश्ठ अभियन्ता पुत्र श्री उमेद सिंह कौम जाट वासी एम0पी0 माजरा जिला झज्जर हॉल पैनल कनिश्ठ अभियन्ता झज्जर, श्री राज कुमार भार्मा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी साल्हावास हाल खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिन्जौर जिला पंचकूला, श्री जय प्रका 1 ग्राम सचिव बाबेपुर खण्ड साल्हावास जिला झज्जर से 43,68,930/—रु की रा 11 दण्डित ब्याज सहित वसूल करके तथा इनके विरुद्ध उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर जांच रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के माध्यम से सरकार को भेजी गई थी। अब सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 61/53/2010—11चौकसी—2 दिनांक 14.10.13 अनुसार दिए गए सुझाव से सहमत होते हुए, श्री चरण सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाबेपुर, श्री युद्धबीर सिंह पैनल कनिश्ठ अभियन्ता व श्री जय प्रका 1 ग्राम सचिव बाबेपुर जिला झज्जर से 43,68,930/—रु की रा 11 दण्डित ब्याज सहित वसूल करने तथा इनके विरुद्ध उपरोक्त धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के आदे 1 प्राप्त हुए हैं। अतः तहरीर सेवा में भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्त के विरुद्ध सरकार के आदे 1ानुसार मुकदमा दर्ज करके स्पे 1ल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट व सभी सम्बन्धित को भेजी जाए। जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ सलंगन है। इस मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाकर सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी को भेजा जाए। हस्ता हिन्दी ओम प्रका 1 एस0आई0 रा0चौ0ब्यू उपकेन्द्र झज्जर 25.11.13 अज थाना :- प्राप्त तहरीर पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावेगी। स्पे 1ल रिपोर्ट ई0ए0एस0आई0 धर्मपाल 818/हिसार द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब झज्जर भेजी गई। नकल मि 1ल पुलिस मय असल तहरीर व जांच से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड अफसरान बाला से आदे 1 प्राप्त करके आगामी अनुसंधान हेतु दी जावेगी।

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:**

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O) Savitri Devi

Rank: L/SI

No.: 145/BWN

to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

**F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:**

**R.O.A.C.:**

**14.**

**Signature/Thumb Impression**

**Signature of Officer**

Of The Complainant/Informant:

**Name** Savitri Devi

**Rank:** L/SI No. 145/BWN

15 Date and Time of despatch to the court: बढस्त ई0ए0एस0आई0 धरुडडडल नं0 818 / हलसर